



**प्रेस नोट**

**दिनांक:—06.02.2021**

## **थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार**

**कार्यवाही:—**जनपद हापुड पुलिस द्वारा जनपद में जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरूख पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड को जिला बदर होने के उपरान्त मा० न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिला बदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:—**

शाहरूख पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:—**

- 1.मु०अ०स०—44/21 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना सिम्भावली जिला हापुड।
- 2.मु०अ०सं०—279/19 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधि० थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:—**

- 1-व०उ०नि० श्री कृतपाल सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
- 2-उ०नि० श्री लाखन सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।